(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 124/2022 दायर दिनांकः 05.08.2022

उनवान

1. रोशनसिंह पि. सुजानसिंह जाति गुर्जर नि. फतेहगढ तहसील रायपुर
2. मांगीलाल पि. सुजानसिंह जाति गुर्जर नि. फतेहगढ तहसील रायपुर

— वादीगण

बनाम

1. सुजानसिंह पि. फतेहसिंह जाति गुर्जर नि. फतेहगढ तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति —
वकील वादीगण — श्री नीलकमल त्रिवेदी
वकील प्रतिवादी सं. 1 — शहजादी गौरी
प्रतिवादी कम .2 — तहसीलदार रायपुर

निर्णय दिनांक : 28.01.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम फतेहगढ़ पटवार हल्का फतेहगढ़ तहसील रायपुर की खाता संख्या 493 का खसरा नं. 1459/425 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नं. 1460/430 रकबा 0.1770 हैक्टेयर खसरा नं. 1461/431 रकबा 0.1644 हैक्टेयर खसरा नं. 1462/692 रकबा 1.4923 हैक्टेयर खसरा नं. 1463/695 रकबा 2.0234 हैक्टेयर खसरा नं. 1464/696 रकबा 1.0370 हैक्टेयर खसरा नं. 1465/759 रकबा 0.3415 हैक्टेयर खसरा नं. 1466/762 रकबा 0.2150 हैक्टेयर खसरा नं 1467/763 रकबा 1.3279 हैक्टेयर खसरा नं. 1468/1184 रकबा 0.1265 हैक्टेयर खसरा नं. 1469/781 रकबा 1.0749 हैक्टेयर खसरा नं. 1470/788 रकबा 0.5059 हैक्टेयर खसरा नं. 1471/1119 रकबा 0.0759 हैक्टेयर खसरा नं. 480 रकबा 0.0253 हैक्टेयर खसरा नं. 743 रकबा [illegible] हैक्टेयर खसरा नं. 785 रकबा 0.0506 हैक्टेयर की कुल किता 16 कुल रकबा 10.7116 हैक्टेयर आराजी है जो वर्तमान में प्रतिवादी के खाते में दर्ज है। यह कि वादी के पैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.02.10 13:25:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

नं. 1 में वर्णित आराजी पुश्तेनी आराजी है और अमरसिंह पिता औंकार लाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी को विरासत में प्राप्त हुई है इस प्रश्तेनी आराजी में वादीगण को 1/3, 1/3, कुल 2/3 हिस्सा हिन्दु उताराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से प्राप्त है जिसके वादीगण खातेदार टिनेंट घोषित होने के अधिकारी है क्योकि वादीगण पारिवरीक बटवारे के अनुसार मौके पर अपने हिस्से पर काबिज होकर वर्तमान में काश्त कर रहें है लेकिन प्रतिवादी जो कि वादीगण के पिता है इस पुश्तेनी आरजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है इसलिए वादीगण को यह वाद माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है। यह कि वाद कारण दिनांक 05.04.2022 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी से उनका हिस्सा नाम दर्ज करवाने लिए कहा और उन्होनें इन्कार कर दिया तो वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का होने से अवधिमध्य, उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी नं. 1 निम्न आशय की पारीत की जावे।

(अ) ग्राम फतेहगढ़ पटवार हल्का फतेहगढ़ तहसील रायपुर की खाता संख्या 493 का खसरा नं. 1459/425 रकबा 0.0253 हैक्टेयर खसरा नं. 1460/430 रकबा 0. 1770 हैक्टेयर खसरा नं. 1461/431 रकबा 0.1644 हैक्टेयर खसरा नं. 1462/692 रकबा 1.4923 हैक्टेयर खसरा नं. 1463/695 रकबा 2.0234 हैक्टेयर खसरा नं. 1464/696 रकबा 1.0370 हैक्टेयर खसरा नं. 1465/759 रकबा 0. 3415 हैक्टेयर खसरा नं. 1466/762 रकबा 0.2150 हैक्टेयर खसरा नं. 1467/763 रकबा 1.3279 हैक्टेयर खसरा नं. 1468/1184 रकबा 0.1265 हैक्टेयर खसरा नं. 1469/781 रकबा 1.0749 हैक्टेयर खसरा नं. 1470/788 रकबा 0.5059 हैक्टेयर खसरा नं. 1471/1119 रकबा 0.0759 हैक्टेयर खसरा नं. 480 रकबा 0.0253 हैक्टेयर खसरा नं. 743 रकबा 2.0487 हैक्टेयर खसरा नं. 785 रकबा 0.0506 हैक्टेयर की कुल किता 16 कुल रकबा 10.7116 है. आराजी मे से वादीगण प्रत्येक को 1/3, 1/3 कुल 2/3 [illegible] का खातेदार टिनेंट घोषित किया जाकर राजस्व रिका[illegible] जावे।

(ब) अन्य न्यायाचित सहायता जो [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.02.10 13:25:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 16.09.2024 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। पक्षकारान की पहचान उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई। राजीनामा पत्र में निवेदन किया कि उक्त उनवान के प्रकरण मे हम वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 मे मध्य राजीनामा हो गया है और राजीनामे के अनुसार वादीगण को वाद के पैरा नम्बर 1 में वर्णित ग्राम फतेहगढ पटवार हल्का फतेहगढ तहसील रायपुर की खाता संख्या 493 की कुल किता 16 कुल रकबा 10.7116 हैक्टेयर आराजी में 1/3–1/3 अर्थात 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने मे मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है यह जमीन पुश्तेनी हैं और मेरे पिता से मुझे प्राप्त हुई है। मेरे वादीगण के अतिरिक्त अन्य कोई पुत्र पुत्री नही है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त राजीनामा स्वीकार किया जाकर उक्त अनुसार वाद की डिकी पारित की जाने की कृपा करे। प्रतिवादी कम 2 पेरोकार सरकार ने कोई जवाब पेश नही कर के सीधी बहस करते हुए कथन किया कि यदि वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक आराजी है तो हिन्दू उत्तराधिकार नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने मे कोई आपत्ति नही है।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम फतेहगढ के खाता सं. 493 किता 16 की जमाबंदी सं. 2073–76 की प्रमाणित प्रति, ग्राम फतेहगढ की भू.प्रबंध विभाग की खाता सं. 35 किता 26 रकबा 126–02 बीघा की जमाबंदी सं. 2022–41 की प्रमाणित प्रति एवं प्रतिवादी कम 1 व वादीगण के मध्य हुये राजीनामा दिनांक 16.09.2022 की प्रति तथा नामा.सं. 491 दिनांक 10.06.1965, नामा.सं. 403, जमाबंदी सं. 2021–24 के खाता सं. 56, जमाबंदी सं. 2017–20, जमाबंदी सं. 2013–16 , जमाबंदी सं. 2021–24 के खाता सं. 112 की प्रमाणित नकले प्रस्तुत की।

4. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम फतेहगढ के खाता सं. 493 जमाबंदी सं. 2073–76 की आराजी किता 16 रकबा 10.7116 हैक्टेयर भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 सुजानसिंह के खाते दर्ज रिकार्ड है, जो उन्हे विरासत में उनके पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.02.10 13:25:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

फतेहसिंह गुर्जर से प्राप्त हुई थी। उक्त वादग्रस्त आराजी मुताबिक जमाबंदी सं. 2021–24 प्रतिवादी सं. 1 के पिता व वादीगण के दादा फतेहसिंह के खाते दर्ज थी जो उनके फौत होने के बाद जर्ये फोती नामा. सं. 491 दिनांक 10.06.1965 से उनके पुत्रो– पूरसिंह, सुजानसिंह व बापूसिंह एवं बेवा केसरबाई के हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज हुई थी। अतः वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तेनी आराजी होने और वादीगण के हिन्दू होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादी सं. 1 के वादीगण के अतिरिक्त अन्य कोई पुत्र, पुत्री या बेवा नहीं है।

5. अभिभाषक वादीगण ने आगे तर्क किया कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी भूमि में वादीगण को जन्म से हक व अधिकार प्राप्त है जिसके वादीगण सहखातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी है। अतः वादग्रस्त भूमि का वादीगण प्रत्येक को 1/3, 1/3 कुल 2/3 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

6. प्रतिवादी सं. 1 एवं वादीगण ने दिनांक 16.09.2024 को पेश एवं तस्दीक राजीनामा पत्र का हवाला देकर कथन किया कि ग्राम फतेहगढ तहसील रायपुर की खाता संख्या 493 की कुल किता 16 कुल रकबा 10. 7116 हैक्टेयर आराजी पुश्तेनी होने से प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादीगण का भी हक व हिस्सा निहित है। अतः वादीगण को 1/3–1/3 अर्थात 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने मे प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपत्ति नही वादीगण का वाद डिकी किये जाने की कृपा करे।

7. अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार ग्राम फतेहगढ तहसील रायपुर की खाता संख्या 493 की कुल किता 16 कुल रकबा 10.7116 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम फतेहगढ की जमाबंदी सं. 2013–16 एवं 2017–20 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी किता 14 रकबा 75–02 बीघा भूमि फतेहसिंह, रामलाल व ओंकार बेटा गोपाल गुर्जर के खाते दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम फतेहगढ की जमाबंदी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.02.10 13:25:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

2021–24 के अनुसार वादग्रस्त आराजी किता 12 रकबा 45–01 बीघा जरिये फोती नामा.सं. 491 से पूरसिंह, सुजानसिंह, बापूसिंह पिस. फतेहसिंह व बेवा केसरबाई के खाते हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम फतेहगढ के नामा.सं. 491 दिनांक 10.06.1965 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार फतेहसिंह मु.रामलाल गुर्जर के फोत होने पर वादग्रस्त आराजी किता 12 रकबा 45–01 बीघा पूरसिंह, सुजानसिंह, बापूसिंह पिस. फतेहसिंह व बेवा केसरबाई के सहखाते दर्ज हुई। उपरोक्त विवेचन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी मूलतः फतेहसिंह के खाते दर्ज रिकार्ड थी जो उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों जिसमें प्रतिवादी सं. 1 भी है– के नाम दर्ज हुई थी। **सर मुल्लाज हिन्दू उत्तराधिकार विधि 25 वा संस्करण 2024 के अनुसार कोई सम्पत्ति किसी हिन्दू की पैतृक सम्पत्ति होगी यदि वह उसे चतुर्थ पुरूष पीढी से अविभाजित रूप में प्राप्त हो।** अतः वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 के वारीसान/वादीगण के लिए पैतृक सम्पत्ति मानी जावेगी।

8. यह तथ्य निर्विविादित है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 हिन्दू है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो से शासित होते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी हिन्दू की पैतृक सम्पत्ति में उसके पुत्र–पुत्रियों का जन्म से ही हक व अधिकार निहित होता है। एक हिन्दू पैतृक सम्पत्ति में अपने पिता के जीवनकाल में अपने जन्म से निहित हक व अधिकार को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र अनुसार भी कोई हिन्दू अपने पिता की पैतृक कृषि आराजी में उसके जीवनकाल में भी अपना नोशनल शेयर प्राप्त करने के लिए कोर्ट में दावा ला सकता है। यहां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के संबंधित प्रावधानो का अवलोकन आवश्यक है जो निम्नानुसार है –

20. Right of child in womb.— A child who in the womb at the time of death of an intestate and who is subsequently born alive shall have the same right to inherit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate, and the inheritance shall be deemed

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.02.10 13:25:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

to vest in such a case with effect from the date of the death of the intestate.

9. अभिभाषक वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी सं. 1 के केवल दो ही कानूनी वारीसान वादीगण है लेकिन उक्त कथन के समर्थन में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी सं. 1 के वारीसान वादीगण होना ही साबित नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं राजीनामा के आधार पर ग्राम फतेहगढ के खाता सं. 493 जमाबंदी सं. 2073–76 की आराजी किता 16 रकबा 10.7116 हैक्टर आराजी के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर ग्राम फतेहगढ के खाता सं. 493 जमाबंदी सं. 2073–76 की आराजी किता 16 रकबा 10.7116 हैक्टर भूमि में वादीगण को उनके निहित नोशनल शेयर तक खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायपुर प्रतिवादी सं. 1 सुजानसिंह पि. फतेहसिंह के कानूनी वारीसानो की जांच कर वादीगण को नोशनल हिस्सा तय करते हुए सहखातेदार दर्ज करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.02.10 13:25:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

10

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 124 / 2022 **दायर दिनांकः 05.08.2022**

उनवान

1. रोशनसिंह पि. सुजानसिंह जाति गुर्जर नि. फतेहगढ तहसील रायपुर
2. मांगीलाल पि. सुजानसिंह जाति गुर्जर नि. फतेहगढ तहसील रायपुर

— वादीगण

बनाम

1. सुजानसिंह पि. फतेहसिंह जाति गुर्जर नि. फतेहगढ तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति —

वकील वादीगण — श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी सं. 1 — शहजादी गौरी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X............... रूबरू..............X...............................

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

ग्राम फतेहगढ के खाता सं. 493 जमाबंदी सं. 2073—76 की आराजी किता 16 रकबा 10.7116 हैक्टर भूमि में वादीगण को उनके निहित नोशनल शेयर तक खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायपुर प्रतिवादी सं. 1 सुजानसिंह पि. फतेहसिंह के कानूनी वारीसानो की जांच कर वादीगण को नोशनल हिस्सा तय करते हुए सहखातेदार दर्ज करे।

(दिनेश कुमार मीणा आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारहे .. ....X.............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.0[illegible] को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.02.10 13:25:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मु॰
महन्ताना वकील	मु॰	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.02.10 13:25:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner